<u>शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्त्वपूर्ण</u> संख्या:I/869158/2025 /16-3099/12/2019

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनाकः03-02-2025

विषयः-सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के सम्बन्ध में। महोदय.

शैक्षिक सत्र का नियमित और सुव्यवस्थित संचालन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के साथ-साथ न केवल विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाता है, अपितु संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण को अनुशासित और संगठित रखने में भी सहायक होता है। शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, तािक वे विषयों को चरणबद्ध तरीक से समझ सकें और उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास सुचारू रूप से हो सके।

- 2. शैक्षिक सत्र के नियमित रहने से विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों के लिए समय प्रबंधन आसान हो जाता है तथा परीक्षाओं और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी व्यवस्थित रहती है। इससे विद्यार्थियों को अपनी प्रगति के सही मूल्यांकन का अवसर मिलता है और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। शैक्षिक सत्र नियमित होने से विद्यार्थी अपनी शिक्षा को समय पर पूरा कर पाते हैं, जिससे उनके समक्ष उच्च शिक्षा और कैरियर के विभिन्न अवसरों के द्वार खुलते हैं। नियमित और सुव्यवस्थित शैक्षिक सत्र एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समग्र शिक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी सिद्ध होता है और समाज में ज्ञान आधारित प्रगति को सुनिश्चित करता है।
- 3. ध्यातव्य है कि कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न कितनाईयों के कारण शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन प्रभावित हुआ, जिसे नियमित करने के प्रयास विगत वर्षों से किये जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र के नियमित न होने के कारण उत्पन्न कितनाईयों को दूर करने हेतु एक निश्चित कार्याविध एवं समय सारिणी का निर्धारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- 4. उक्त के दृष्टिगत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वार्षिक पद्धित एवं सेमेस्टर पद्धित (विषम एवं सम-सेमेस्टर) हेतु शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए शैक्षिक कैलेंडर का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:-

## शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित समय - सारिणी /शैक्षिक कैलेंडर

<del>क</del> ्रं <b>0</b>	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि	निर्धारित समयावधि	निर्धारित समयावधि
सं0		(विषम सेमेस्टर)	(सम सेमेस्टर)	(वार्षिक परीक्षा)
1.	पठन-पाठन एवं अन्य	15 जुलाई, 2025 से	01 जनवरी 2026	15 जुलाई, 2025
	क्रियाकलाप	10 नवम्बर 2025	से 28 अप्रैल 2026	से 28 अप्रैल 2026
		तक	तक	तक
2.	नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं	01 अगस्त, 2025	-	01 अगस्त, 2025
	का पाठन-पाठन	से प्रारम्भ		से प्रारम्भ
3.	नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं	01 सितम्बर, 2025	-	01 सितम्बर, 2025
	हेतु नामांकन आवेदन पत्र	से 15 सितम्बर,		से 15 सितम्बर,
		2025 तक		2025 तक
4.	परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा	15 अक्टूबर, 2025	15 मार्च 2026 से	
	शुल्क जमा किये जाने की	से 25 अक्टूबर,	30 मार्च 2026 तक	30 मार्च 2026 तक
	तिथि (प्रथम, तृतीय एवं	2025 तक		
	पंचम सेमेस्टर)			
5.	अनुक्रमांक आंवटन सहित	01 नवम्बर, 2025		15 अप्रैल, 2026 से
	नामावली ऑनलाइन जारी	से 05 नवम्बर,	20 अप्रैल, 2026	20 अप्रैल, 2026
	करने की तिथि	2025 तक	तक	तक
6.	ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी	06 नवम्बर, 2025	_	20 अप्रैल, 2026 से
	करने की तिथि	से 08 नवम्बर,	23 अप्रैल, 2026	23 अप्रैल, 2026
		2025 तक	तक	तक
7.	सेशनल अंको की ऑनलाइन	`		05 मई, 2026 से
	फीडिंग प्रक्रिया	से 30 नवम्बर,	15 मई, 2026 तक	15 मई, 2026 तक
		2025 तक		
8.	प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम	10 दिसम्बर, 2025		25 मई, 2026 से
	(परीक्षा क्रियान्वयन एवं	से 24 दिसम्बर,	10 जून, 2026 तक	10 जून, 2026 तक
	ऑनलाइन फीडिंग)	2025 तक	,	
9.	सैद्धांतिक परीक्षा	16 नवम्बर, 2025		01 मई, 2026 से
		से 09 दिसम्बर,	24 मई, 2026 तक	24 मई, 2026 तक
		2025 तक		
10.	औद्योगिक प्रशिक्षण	-	10 जून, 2026 से	10 जून, 2026 से
	(Internship)		10 जुलाई, 2026	10 जुलाई, 2026
		,	तक	तक
11.	सेमेस्टर ब्रेक	प्रयोगात्मक परीक्षा	प्रयोगात्मक परीक्षा	प्रयोगात्मक परीक्षा
		समाप्ति के पश्चात 31	,	समाप्ति के पश्चात
		दिसम्बर, 2025 तक	14 जुलाई, 2026	14 जुलाई, 2026
ı	I	I	I	ı l

			तक	तक
12.	मूल्यांकन कार्य	10 दिसम्बर 2025	25 मई, 2026 से	25 मई, 2026 से
		से 10 जनवरी,	25 जून, 2026 तक	25 जून, 2026 तक
		2026 तक		
13.	परीक्षाफल	अधिकतम 31 जनवरी	अधिकतम 14 जुलाई	अधिकतम 14 जुलाई
		2026 तक	2026 तक	2026 तक

परिषद विनियमावली-2016 (प्रथम संशोधन) के विनियम-3(क) में वर्णित शैक्षिक कैलेन्डर के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन होने का प्रावधान हैं। इस प्रकार 15 जुलाई, 2025 से 08 नवम्बर, 2025 तक के विषम सेमेस्टर में लगभग 28 सार्वजनिक अवकाश (रिववार सिहत) हैं, और 91 प्रभावी शैक्षणिक दिन कक्षाएं सम्पादित होंगी, 01 जनवरी, 2026 से 28 अप्रैल, 2026 तक के सम सेमेस्टर में लगभग 30 सार्वजनिक अवकाश (रिववार सिहत) हैं, और 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन कक्षाएं सम्पादित होंगी तथा 15 जुलाई, 2025 से 23 अप्रैल, 2026 तक के वार्षिक परीक्षा में लगभग 58 सार्वजनिक अवकाश (रिववार सिहत) हैं, और 181 प्रभावी शैक्षणिक दिन कक्षाएं सम्पादित होंगी।

5. कृपया शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए निर्धारित उक्त शैक्षिक कैलेंडर में अंकित कार्ययोजना, कार्याविध एवं समय-सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र भूषण) अपर मुख्य सचिव।

## संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री के अवगतार्थ।
- 2. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ को अध्यक्ष महोदय का अवगतार्थ।
- 3. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4. अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई/पी०सी०आई०, नई दिल्ली।
- 5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
- 6. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
- 7. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, लखनऊ।
- 8. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुंदेलखंड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र।
- 9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र भूषण) अपर मुख्य सचिव।